तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/05/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप.। citations एवं पूर्व judgement पेश। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस प्रार्थी - " वादी डोली मंदिर विष्णु भगवान के नाम की खुद काश्त भूमि आलामंड में ख. सं. 201, 202 में स्थित है। भूमि पर पुजारी की हैसियत से वादीगण काबिज हैं। विधि विरुद्ध बेचान के आधार पर revenue record में गलत इंद्राज दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। अतः विवादित भूमि का अन्य को हस्तांतरण नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।" अधि. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत citation - " State v/s Kaniram - In record of Samvat 2009 to 2028 land was recorded as Khudkasht of Murti Mandir - No Khatedari rights can be confessed on Pujari or to any person - Pujari sold the land illegally - Murti Mandir is a perpetual minor - held, mutations & Khatedari are cancelled." मुताबिक बहस अप्रार्थी - " ख. सं. 201, 202 की भूमि डोली की ना होकर पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। संवत 2005 के खसरा बंदोबस्त में ख. तेजा का नाम बतौर काश्तकार दर्ज था। इस प्रकरण में जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा reference प्रकरण बनाया जाकर Revenue Board भेजा गया, जिसे खारिज कर दिया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः प्रा॰ पत्र खारिज फरमाया जावे"
	अधि॰ अप्रार्थी द्वारा ख॰ सं॰ 201, 202 के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08/02/18 की copy एवं मा॰ राजस्व मंडल अजमेर निर्णय दिनांक 09/03/17 (तहसीलदार, जोधपुर Ms शैतानराम...) की copy।
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। अधि॰ प्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में प्रस्तुत कानूनी उद्धरण प्रकरण पर इस प्रकार लागू नहीं होते हैं कि प्रश्नगत भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधि॰ 1952 के प्रभाव में आने के पूर्व या बाद में मंदिर की खुदकाश्त भूमि रही हो (As per मा॰ Rev. Board judgement)। अतः प्रा॰ पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो।
	Priyanka
	सहायक कलक्टर (...) जोधपुर